



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-19042023-245267
CG-MH-E-19042023-245267

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1708]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 19, 2023/चैत्र 29, 1945

No. 1708]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 19, 2023/CHAITRA 29, 1945

रेल मंत्रालय

पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)

अधिसूचना

मुम्बई, 18 अप्रैल, 2023

का.आ. 1790(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के उपखंड (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, ये समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, यह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, मध्यप्रदेश राज्य के खण्डवा जिले में रतलाम - इंदौर डा. अम्बेडकर नगर खंडवा आमान परिवर्तन परियोजना (298.60 कि.मी.) नाम की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन के लिये आवश्यक है, ऐसी भूमि के अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि के लिये इच्छुक कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, भू-अर्जन अधिकारी व सक्षम प्राधिकारी पुनासा, जिला- खण्डवा (म.प्र.) को लिखित रूप में किया जाएगा जो कि आक्षेप का आधार होगा। सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानुनी प्रेक्टिशनर (अधिवक्ता) के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई और

जांच करने के पश्चात्, यदि आवश्यक समझे तो, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों के लिये अनुमति देगा या अनुमति प्रदान नहीं करेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि की भूमि योजना और अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उक्त उल्लेखित कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

मध्यप्रदेश राज्य में रतलाम - इंदौर डा. अम्बेडकर नगर खंडवा आमान परिवर्तन परियोजना (298.60 कि.मी.) नाम की विशेष रेल परियोजना के लिए अधिग्रहण की जाने वाली संरचना सहित या संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

जिले का नाम :- खण्डवा

क्रम संख्या	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प.ह.नं.	खसरा संख्या	अर्जनीय क्षेत्रफल		भूमि का प्रकार सिंचित/ असिंचित
					स्क्वेयर मीटर में	हेक्टेयर में	
1	2	3	4	5	6	7	8
01	पुनासा	मोरघडी	02	411/2	5500	0.550	सिंचित
				411/3	2000	0.200	सिंचित
योग				02	7500	0.750	--
01	पुनासा	मोरटक्का	01	598	2400	0.240	सिंचित/ व्यवसायिक
02				599	600	0.060	पडती / व्यवसायिक
03				600/1/1	3800	0.380	सिंचित
04				600/1/2	6400	0.640	सिंचित/ व्यवसायिक
05				600/2/1	600	0.060	सिंचित
06				600/2/2	1000	0.100	सिंचित/ व्यवसायिक
07				610/2	2100	0.210	सिंचित
08				644	500	0.050	पडती
09				645	200	0.020	सिंचित
10				646	5000	0.500	असिंचित
11				647	3200	0.320	असिंचित
12				655	3100	0.310	सिंचित

13				656	2300	0.230	सिंचित
14				657	1800	0.180	सिंचित
15				658	7800	0.780	सिंचित
16				659	2600	0.260	सिंचित
17				764/1	900	0.090	सिंचित
18				764/2/2	1500	0.150	सिंचित/ व्यवसायिक
19				769/2	600	0.060	सिंचित/ व्यवसायिक
20				770/2	1000	0.100	सिंचित/ व्यवसायिक
21				771	1000	0.100	सिंचित/ व्यवसायिक
			योग	21	48400	4.80	--

[फा.सं. ई. ऑफिस (E 322849-5)]

धीरज कुमार, मुख्य परियोजना प्रबंधक

MINISTRY OF RAILWAYS

Western Railway (Construction Organization)

NOTIFICATION

Mumbai, 18th April, 2023

S.O. 1790(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section(I) of section 20A of the Railways Act, 1989(24 of 1989) (hereinafter referred in as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the schedule annexed hereto, is required for execution of Special Railway Project, namely, Gauge Conversion of Ratlam Indore Dr. Ambedkar Nagar Khandwa (298.60 Km) Project, in the State of Madhya Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land:

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for a foresaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act:

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Land Acquisition Officer & Competent Authority Punasa, District- Khandwa (M.P.), in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (II) of section 20(D) of the said act shall be final.

The Land Plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person aforesaid Office of the Competent Authority.

Schedule

Sub: - Brief description of land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project, namely, Gauge Conversion of Ratlam Indore Dr. Ambedkar Nagar Khandwa (298.60 Km) Project in the state of Madhya Pradesh.

Name of District: Khandwa

S. No.	Name of Tehsil	Name of Village	P.H. No.	Khasara No.	Acquired Land Area		Type of Land Irrigated / Unirrigated
					In Sqm.	In Hect.	
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Punasa	Morghari	02	411/2	5500	0.550	Irrigated
02				411/3	2000	0.200	Irrigated
TOTAL				02	7500	0.750	&&
01	Punasa	Mortakka	01	598	2400	0.240	irrigated /Commercial
02				599	600	0.060	Unirrigated / Commercial
03				600/1/1	3800	0.380	irrigated
04				600/1/2	6400	0.640	irrigated / Commercial
05				600/2/1	600	0.060	irrigated
06				600/2/2	1000	0.100	irrigated / Commercial
07				610/2	2100	0.210	irrigated
08				644	500	0.050	Unirrigated
09				645	200	0.020	irrigated
10				646	5000	0.500	unirrigated
11				647	3200	0.320	unirrigated
12				655	3100	0.310	irrigated
13				656	2300	0.230	irrigated
14				657	1800	0.180	irrigated
15				658	7800	0.780	irrigated
16				659	2600	0.260	irrigated
17				764/1	900	0.090	irrigated
18				764/2/2	1500	0.150	irrigated / Commercial
19				769/2	600	0.060	irrigated / Commercial
20				770/2	1000	0.100	irrigated / Commercial
21				771	1000	0.100	irrigated / Commercial
TOTAL				21	48400	4.840	--

[F.No. E.- Office (E 322849-5)]
DHEERAJ KUMAR, Chief Project Manager